न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/108/2022	29.08.2022	30.04.2024

1. भगवान सहाय शर्मा पुत्र स्व0 श्री बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण, उम्र करीब 68 वर्ष, निवासी ग्राम कुण्डला, उचित मूल्य दुकानदार 1/3 भाग, ग्राम पंचायत कुण्डला, तह0 राजगढ़ जिला अलवर राज0।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर राज0। तहसील बानसूर जिला अलवर

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 04.07.2022 जिला रसद अधिकारी अलवर जिनके द्वारा प्रकरण सं0 207/2022

उपस्थितः—
01—श्री श्योराम सिंह नरूका

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 04.07.2022 जिसके जरिये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया, पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा दिनांक 04.07.2022 को प्रकरण सं0 207/2022 बअनुवान सरकार बनाम भगवान सहाय शर्मा में यह निर्णय पारित किया है कि अप्रार्थी भगवान सहाय शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत कुण्डला, पॉस कोड 17053 तहसील राजगढ़, जिला अलवर का जारी प्राधिकार पत्र संख्या 324/1987 को समस्त देनदारियां लम्बित रखते हुए निरस्त किया जाता है।

यह निर्णय पारित किया है कि "अतः अप्रार्थी भगवान सहाय शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कुण्डला, पोस कोड 17053 तहसील राजगढ़, जिला अलवर का जारी प्राधिकार पत्र संख्या 324/1987 को समस्त ट्रेनदारियां लम्बित रखते हुए निरस्त किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा जमा कराई गई समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम कर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।" जिससे व्यथित होकर यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार श्रीमान को आयद है। जिस कारण अपील श्रीमान के श्रवणाधिकार के क्षेत्राधिकार में है। यह है कि अपील हाजा पर समुचित न्यायाशुल्क चस्पा है।

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 04.07.2022 की नकल वास्ते अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 20.07.2022 को विधिवत आवेदन किया गया जिस पर दिनांक 16.08.2022 को आलोच्य निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई है। नकल मिलने का उक्त समय दिनांक 20.07.2022 से दिनांक 16.08.2022 मुजरा दिया जाकर अपील अन्दर अवधि पेश है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एकपक्षीय है, जो कि अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर के द्वारा प्रकरण दर्ज करने के पश्चात अपीलान्ट को प्रेषित कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.04.2022 जो कि अपीलान्ट को दिनांक 16.05.2022 को प्राप्त हुआ था, का विस्तृत जवाब दिनांक 20.06.2022 को मातहत अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया था, जिसका कोई विवेचन आलोच्य निर्णय में

जिला कलक्टर, अलवर

मातहत अधिकारी के द्वारा नही किया गया है, जिस कारण से आलोच्य निर्णय अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है।

मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर ने आलोच्य निर्णय में केवल यह दर्ज किया है कि जवाब संतोषजनक नहीं है, जो गलत है। मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा आलोच्य निर्णय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब कारण बताओ नोटिस के खण्डन का कोई आधार दर्ज नहीं किया गया है, जिस कारण से भी आलोच्य निर्णय अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य सामग्री का वितरण पॉस मशीन के ज़रिये बॉयोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर उपभेक्ताओं को किया जाता है, अपीलान्ट के द्वारा कोई फर्जी ट्रांजेक्शन व गबन नहीं किया गया है, जो तथ्य काबिल गौर श्रीमान है एवं स्वीकार किये जाने अपील हाजा है।

प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे अपीलान्ट से मासिक रूप से 'अवैध वसूली करना चाहता था। अपीलान्ट के द्वारा अवैध वसूली दिये जाने से इंकार करने पर प्रवर्तन निरीक्षक दिनेश चौबे के द्वारा अपनी मंशा पूर्ण करने की नियत से अपीलान्ट के विरूद्ध फर्जी व झूठी शिकायत दिनांक 06/9 को मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर को प्रस्तुत की गई, जिस शिकायत में उपभोक्ताओं का नाम, पिता का नाम, पता, राशन कार्ड नम्बर, मोबाईल नम्बरं दर्ज नहीं किये गये, जिन कथित नाम से शिकायत की गई है वो अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान के उपभोक्ता नहीं थे, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

फर्जी व झूठी शिकायत दिनांक 06/9 के आधार पर मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर के द्वारा दिनांक 10.09.2021 को प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे को जांच करने बाबत निम्न आदेश दिये गये "अतः शिकायत की प्रति पत्र. के साथ संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि शिकायत में अंकित बिन्दुओं/तथ्यों की विस्तृत व गहन जांच कर रिपोर्ट तत्काल तीन दिवस में इस कार्यालय में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना सुनश्चित करें।" दिनांक 10.09.2021 के उक्त आदेश के उपरान्त प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे द्वारा अपीलान्ट को ब्लैकमेल किया जाने लगा और अपीलान्ट से बार–बार रिश्वत की मांग की जाकर रिश्वत देने के लिए दबाव बनाया गया। अपीलान्ट के द्वारा उक्त बाबत इंकार करने पर छः माह पश्चात दिनांक 13.03.2022 को फर्जी व नुमाईशी जांच रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा तैयार की जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण बनाया गया, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

दिनांक 13.03.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा जानबूझकर अपीलान्ट को बदनाम करने एवं दबाव बनाने की नियत से गलत तरीक पर उचित मूल्य दुकान पर पहुंचकर अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान को सील कर दिया और 13 दिनों तक अपीलान्ट की दुकान को सील रखा ज़ाकर दिनांक 26.03.2022 को सील खोलकर अपीलान्ट की दुकान में रखे हुए उचित मूल्य सामग्री के स्टॉक का सत्यापन किया गया, जो स्टॉक जांच में पूर्ण मिला था, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 26.03.2022 जो नुमाईशी रूप में निर्मित की जाकर मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर के समक्ष पेश की गई, उस जांच रिपोर्ट के चरण सं. 1 में यह वर्णित किया गया है कि दिनांक 13.03.2020 को डीलर भगवान सहाय बुलाने पर दुकान पर नहीं पहुंचा जिस पर दुकान को सील किया गया। जांच रिपोर्ट के चरण सं. 2 में वर्णित किया गया है कि दिनांक 24.03.2020 को दुकान पर पहुंचा, तो दुकान पर भगवान सहाय उपस्थित नहीं मिला। जांच रिपोर्ट के चरण सं. 3 में वर्णित किया गया कि दिनांक 24.03.2020 को ग्राम पंचायत कुण्डला में उपभेक्ताओं के बयान लिये गये। सही तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.03.2020 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान को प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा सील नहीं किया गया था, दिनांक 13.03.2020 को अपीलान्ट की दुकान सील ही नहीं की गई तो दिनांक 24.03.2020 को सील खोलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और दिनांक 24.03.2020 को किसी उपभेक्ता के बयान प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा लेखबद्ध नहीं कराये गये, ना ही पत्रावली पर मौजूद है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

जिला कलक्टर, अलवर

प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 26.03.2022 फर्जी निर्मित की गई है जिसमें उपभेक्ताओं को 10 किग्रा दाल मुफ्त मिलेगी झूठ बोलकर दिनांक 24.03.2022 को हस्ताक्षर कराये है, जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध किसी उपभेक्ता की कभी कोई शिकायत नहीं रही है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

ग्राम पंचायत कुण्डला एवं ग्राम पंचायत के किसी भी उपभेक्ता की आज दिनांक तक अपीलान्ट के विरूद्ध कोई शिकायत कभी नहीं की गई है जो तथ्य गौर श्रीमान है।

सरपंच, ग्राम पंचायत कुण्डला के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में वितरण का गेंहू बढाने का पत्र जिला रसद अधिकारी, अलवर को लिखा गया था। परन्तु गेंहू बढाने की बजाए प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त फर्जी व नुमाईशी कार्यवाही की गई, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं. 324/1987 है। अपीलान्ट पिछले करीब 35 वर्षों से उचित मूल्य दुकान का संचालन कर रहा है। अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही है, ना ही उचित मूल्य सामग्री वितरण में कोई अनियमितता पाई गई है। परन्तु प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की मंशा से झूठे व मनगंढत तथ्यों पर जांच रिपोर्ट तैयार की जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण निर्मित किया गया है, जिस बाबत विस्तृत जवाब अपीलान्ट के द्वारा मातहत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, जिस पर समुचित गौर ना करते हुए मातहत अधिकारी ने आलोच्य निर्णय पारित किया है, जो कि अपास्त व अभिखण्डित फरमाय जाने योग्य है।

प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे की फर्जी व नुमाईशी शिकायत व जांच रिपोर्ट के आधार पर मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 14.06.2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के आदेश पारित किये है, जो आदेश काबिल निरस्तनीय है क्योंकि अपीलान्ट के द्वारा कोई किसी प्रकार का उचित मूल्य सामग्री का गवन नहीं किया गया है, अपीलान्ट का स्टॉक पूरा है, कोई गबन पत्रावली 'पर उपलब्ध दस्तावेज से साबित नहीं है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

अपीलान्ट के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस में बार बार बुलाने पर दुकान पर उपस्थित नही होने का जो आरोप वर्णित किया गया, वो गलत था। मिन अपीलान्ट को प्रवर्तन निरीक्षक श्री दिनेश चौबे के द्वारा उचित मूल्य दुकान पर आने बाबत कोई मोबाईल; व्हाटसप के. जरिये अथवा नोटिस के जरिये सूचना नहीं दी गई। कारण बताओ नोटिस में मुख्यालय पर उचित मूल्य सामग्री का वितरण नहीं करते है यह आरोप भी 'गलत विरचित किया गया था। कार्यालय जिला रसद अधिकारी अलवर के द्वारा अधिकृत नक्शा जो अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का पास किया गया है, वो पंचायत हैडक्वार्टर पर ही है। केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस में आरोप निर्मित किये गये है जो सर्वथा गलत है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संशोधित आदेश कमांक एफ.13(49)खा.वि./आंवटन/2015II जयपुर दिनांक 24.03.2017 में कम सं. 1 पर दर्ज किया गया है कि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.08.2016 के बिन्दु संख्या 1 की प्रकिया सामान्य रूप से विलोपित कर, दिनांक 01.04.2017 के उपरान्त राशन सामग्री POS का उपयोग कर ही भामाशाह/आधार के माध्यम से बायोमैट्रिक अथवा ओ.टी.पी. सत्यापन के उपरान्त वितरित की जा सकेगी। उक्त आदेशं की पालना में जिला रसद अधिकारी, अलवर एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मिटिंग करके समस्त राशन डीलरों को यह निर्देश दिय थे कि राशन डीलरों को उपभोक्ताओं को पॉस मशीन से वितरण करना है, यह ऑनलाईन वितरण व्यवस्था है, जिसमें राशन कार्ड में इन्द्राज करने की आवश्यकता नहीं है, जो तथ्य गौर श्रीमान् हैं।

अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य सामग्री का वितरण पंचायत की खाद्य सुरक्षा लिस्ट अनुसार उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण किया गया है, इसी प्रकार के आदेश जिला रसद अधिकारी, अलवर के यहां से जारी हुए थे। मिन अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है, जो भी वितरण किया गया है वो पॉस मशीन के जरिये उपभोक्ताओं के फिगंर प्रिन्ट के जरिये किया गया है। पॉस

जिला कलक्टर, अलवर

मशीन द्वारा वितरण सामग्री आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें किसी प्रकार की विसंगती का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

जब भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड के आधार पर उपभोक्ताओं को पॉस मशीन में फिगंरप्रिंट के जरिये उचित मूल्य सामग्री का वितरण किया जाता है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता के राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं हो पाता है, जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई दुर्भावना नहीं रही है।

अपीलान्ट वर्ष 1987 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलान्ट के समक्ष रोजी का संकट उत्पन्न हो गया है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट स्वयं का व अपने परिवार का गुजर वसर करता है। न्यायाहित में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है।

अपील विरूद्व जिला रसद अधिकारी, अलवर जिनके द्वारा प्रकरण सं0 207/2022 बअनुवान सरकार बनाम भगवान सहाय शर्मा में निर्णय दिनांक 04.07.2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट (पॉस कोड 17053) का प्राधिकार पत्र सं0 324/1987 विधि विरूद्व निरस्त किया गया है, वो निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के जो आदेश दिनांक 14.06.2022 को दिये गये है, वो आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0 324/1987 बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकान 1/3 भाग, ग्राम पंचायत कुण्डला, तहसील राजगढ़ अलवर राज0 का उठाव एवं वितरण (सप्लाई) चालू करने का आदेश एवं अन्य न्यायोचित आज्ञा व आदेश जो भी अपीलान्ट के पक्ष में माननीय उचित समझे प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त चितंन–मनन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पर्वतन निरीक्षक द्वारा दिनांक 13.03.2022, 24.03.2022 व 26.03.2022 को अपीलान्ट की राशन दुकान की जांच की गई। दिनांक 28.03.2022 को आदेश क्रमांक 14158 के द्वारा प्रार्थी को बिना सुने बिना नोटिस दिये प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिये गये। इसके उपरान्त करीब 1 माह बाद दिनांक 26.04.2022 को अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। रैस्पॉडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने तथा बिना पूर्व नोटिस जारी किये प्राधिकार पत्र निलम्बन किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। अपीलान्ट की राशन दुकान पर दिनांक 26.03.2022 को सत्यापन करने पर पॉस मशीन में दर्ज स्टॉक व भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक सही पाया गया है। रैस्पॉडेन्ट ने अपीलान्ट पर आधार नम्बर जुडाने या जनआधार में नाम जुडाने के प्रतिव्यक्ति 100 रू/– लिये जाने के बारे में किसी प्रकार के कोई ठोस साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किये है। अतः अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 04.07.2022 निरस्त किया जाता है। अपीलान्ट भगवान सहाय शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत कुण्डला, तहसील राजगढ़ पॉस कोड 17053 का प्राधिकार पत्र संख्या 324/1987 बहाल करते हुए उनको राशन सामग्री उठा कर वितरण करने की स्वीकृति दी जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)